राष्ट्रीय लोक अदालत –2022
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा
बईजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 111/22
जीसीएमएस न :–2022/240

निर्णय दिनांक 11.02.2023

बउनवान

1. रामप्रसाद आत्मज मदनलाल आयु 58 वर्ष जाति हरिजन निवासी ग्राम सावनभादौ तहसील कनवास हाल निवासी मकान नं0 208 केवलनगर, कोटा जिला कोटा

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया।
प्रतिवादी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास।

दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

निर्णय

प्रार्थी के खाता दुरूस्ती वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88,89 के तहत राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 11.02.2023 को प्रस्तुत हुआ प्रकरण में तहसीलदार कनवास से जवाब सरकार लिया गया। जवाब सरकार के अनुसार ग्राम सावनभादों की खाता संख्या 431 खसरा नं0 76 कुल रकबा 0.53 है0, में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम रामप्रताप पुत्र मदनलाल जाति हरिजन सा0 देह के स्थान पर रामप्रसाद पुत्र मदनलाल जाति हरिजन सा0 देह दर्ज करवाने हेतु वाद दायर किया हैं। वादी का नाम आधार कार्ड, बैंक बीआरकेजीबी शाखा केबलनगर खाता पासबुक में नाम रामप्रसाद पुत्र मदनलाल निवासी केबलनगर दर्ज हैं। वादी का जाति प्रमाण पत्र व भूमि आवंटन पत्र लिया जाना अपेक्षित हैं। अतः वादी द्वारा स्वयं सिद्ध करने तथा वादी का मौके पर कब्जा काश्त होने पर राजस्व रिकॉर्ड में नाम रामप्रताप पुत्र मदनलाल जाति हरिजन सा0 देह के स्थान पर रामप्रसाद पुत्र मदनलाल जाति हरिजन सा0 देह किये जाने में किसी प्रकार की आपति नहीं हैं।

वाद पत्र में प्रस्तुत दस्तावेजातो व जवाब सरकार के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89 के अनुसरण में प्रार्थी के संयुक्त खाते में दर्ज ग्राम सावनभादो पटवार हल्का सावनभादौ तहसील कनवास की खाता संख्या खसरा नं0 76 की 0.53 है0 कृषि भूमि के राजस्व रेकार्ड में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्न लिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्रसं	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान अशुद्धं प्रविष्टि	शुद्ध प्रविष्टि जो आदेश के पश्चात राजस्व रेकार्ड मे दर्ज की जानी है।
1	ग्राम सावनभादौ पटवार हल्का सावनभादौ तहसील कनवास	76	रामप्रताप पुत्र मदनलाल हिस्सा पूर्ण जाति हरिजन सा देह खातेदार	रामप्रसाद पुत्र मदनलाल हिस्सा पूर्ण जाति हरिजन सा देह खातेदार

निर्णय आज दिनांक 11.02.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत 2023 में मजमे आम सुनाया गया

राजेश डागा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
कनवास जिला कोटा

Scanned with ACE Scanner